गगा चन्द उर्फ गंगाराम **बनाम** ग्राम पचायत 39 जीजी आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 01 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/42

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि वादगत भूमि के मूल आवंटी नानक सिंह व पत्नी समो का देहान्त 1974 मे हो गया। जिसकी दो सन्तान थी। जिसमें एक गंगाचन्द उर्फ गंगाराम (पुत्र) एंव सदा कौर (पुत्री) जो अविवाहित फौत हो गई। वादगत भूमि का एकमात्र अपीलान्ट वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के द्वारा अपनी माता पंजाब कौर को अपीलान्ट की बहन बताकर 1.517 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर, भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इसलिए चक 39 जीजी के खाता संख्या 59 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 1.517 हैक्टेयर भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के नाम दर्ज नामान्तरण 579 व इसके पश्चात् दर्ज नामान्तरण संख्या 607 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी अतिआवश्यक है। रेस्पोडेन्टगण अधिवक्ता के द्वारा आपत्तिया पेश कर निवेदन किया कि गंगाराम ने सरपंच से साज–बाज होकर मृतक नानक सिंह का गलत वारिसानामा तैयार करवा कर, करतार कौर व राजकौर दोनों भानजियों का हक मारने की गर्ज से अपनी बहन पंजाब कौर का नाम छुपा कर काल्पनिक नाम की सदा कौर मृतक को अपनी बहन बताते हुए कि सदाकौर अविवाहित ही मर चुकी है, बताकर, नानक सिंह का अकेला वारिस अपीलार्थी ही है। अपने नाम 3.035 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण दर्ज करवा लिया, तो करतार कौर व राजकौर ने सरपंच ग्राम पंचायत 39 जीजी सुलोचना देवी से मुलाकात कर उसे सारी बता बताई तो सरपंच सुलोचना देवी ने निष्पक्ष जांच करवाकर सही वारिसनामा तैयार कर करतार कौर व राज कौर को मृतक नानक सिंह का वारिसान मानकर गंगाराम का इन्तकाल निरस्त कर उनके 1/2 हिस्सा की भूमि करतार कौर व राजकौर के नाम का नामान्तरण तस्दीक करने का प्रस्ताव पारित कर नामान्तरण दर्ज किया। जो काननून सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 39 जीजी अशोक कुमार के द्वारा जारी वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.2004 के अनुसार चक 39 जीजी के खाता संख्या 59 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 1.517 हैक्टेयर भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के नाम दर्ज नामान्तरण 579 व इसके पश्चात् दर्ज नामान्तरण संख्या 607 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। रेस्पोडन्टगण के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 39 जीजी सुलोचना के द्वारा जारी वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2019 के मुताबिक दर्ज नामान्तरण 579 व इसके पश्चात् दर्ज	

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)